धारा 88 : समापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व

(1) जब किसी कंपनी का किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा परिसमापन किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''परिसमापक'' कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।

2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह समापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, समापक को वह रकम अधिसूचित करेगा, जो उसके मत में किसी ऐसे कर, ब्याज या शास्ति को, जो तब कंपनी द्वारा संदेय है या जिसके तत्पश्चात् संदेय हो जाने की संभावना है, चुकाने के लिए पर्याप्त है।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को परिसमाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे समापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, तब प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथकतः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, सिवाय तब के जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्त्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

उपयुक्त नियमः नियम 160

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–24